



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180143

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 7940 वर्ष 2026

लल्ला उर्फ नसरुद्दीन और अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : निहारिका सिंह परिहार, सुरेश चंद्र

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का भी परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 224/2006, धारा 191(2), 352, 115(2), 109(1), 125, 351(3) बी.एन.एस., थाना- रोरावर, जनपद अलीगढ़ में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदकों को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में आवेदकों को छह अन्य नामजद अभियुक्तों के साथ दो घायलों, जिनकी संख्या दो है, के साथ मारपीट करने के सामान्य आरोपों के आधार पर नामजद किया गया है। एक घायल को तीन चोटें आई हैं और दूसरे को एक चोट आई है। किसी भी चोट को जीवन के लिए खतरनाक नहीं बताया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने सह-अभियुक्त मोइन, दीनू, शमीम, अमन, समद एवं हिना को जमानत प्रदान किए जाने संबंधी आदेश का उल्लेख किया, जिन्हें संबंधित न्यायालय द्वारा नियमित जमानत प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त सह-अभियुक्तों को जमानत प्रदान करते समय सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ ने यह राय व्यक्त की कि अभियोजन द्वारा कोई अनुपूरक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है और कोई भी चोट जीवन के लिए खतरनाक नहीं थी। आवेदकों का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदकों को सामान्य भूमिका सौंपी गई है। किसी भी घायल को ऐसी चोट नहीं आई है जिसे जीवन के लिए खतरनाक माना जा सके। अन्य छह सह-अभियुक्तों को सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा नियमित जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदकों का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदकों को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदकों का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9. आवेदक-**लल्ला उर्फ नसरुद्दीन एवं अमन** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वे थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करें तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करें:-

(i) आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएंगे;

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे, जिससे उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके;

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएंगे;

(iv) आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे धमकाएंगे;

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और उन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



31 अगस्त, 2026

ए. पाण्डेय

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!